FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

हेमराज गौड़ बनाम राज्य सरकार

किस्म मुकदमा 128, 111 RTA नं. 39/प्रा.प./24 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-6-24	सरिस्ते से रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलबकर पत्रावली दिनांक 25-06-24 को पेश हो।	
25-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित सरकार पैरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर अनापत्ति जाहिर की हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार हो प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

39 / प्रा.पत्र / 2024
दायरा दिनांक 20.06.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. धर्मगज देव पुत्र श्री अमर सिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पंचौली तहसील सिकराय जिला दौसा राज0
2. भूपेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पंचौली तहसील सिकराय जिला दौसा राज0
3. कमोद देवी पत्नी स्व0 श्री अमर सिंह जाति गुर्जर निवासी पंचौली तहसील सिकराय जिला दौसा राज0
4. यशा पुत्री स्व0 अमर सिंह जाति गुर्जर निवासी पंचौली तहसील सिकराय जिला दौसा राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट
प्रार्थीगण की ओर से :— श्री घनश्याम सैनी
अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांक:— 25.06.2024

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नौताडा भू. अभिलेख निरक्षक क्षेत्र घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की कृषि भूमि खाता संख्या 4 पुराना 80 खसरा नं0 140 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 141 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 156 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 60 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 63 रकवा 0.18 है0, ख0नं0 875 रकबा 1.81 है0, ख0नं0 918 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 920 रकवा 0.80 है0, ख0नं0 921 रकबा 0.20 है0 कुल किता 10 रकबा 4.07 हैक्टेयर जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थीगण है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण प्रत्येक का

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सामाझान किया जा चुका है। ... कृषिभूमि का राजस्व ...
प्रार्थीगण ... जिसकी ...

हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 दर्ज चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थीगण की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस–पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थीगण की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की सीमाओ को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थिगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का नौताडा भू. अभिलेख निरक्षक क्षेत्र घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि खाता संख्या 4 पुराना 80 खसरा नं0 140 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 141 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 156 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 323 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 60 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 63 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 875 रकबा 1.81 है0, ख0नं0 918 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 920 रकबा 0.80 है0, ख0नं0 921 रकबा 0.20 है0 कुल किता 10 रकबा 4.07 हैक्टेयर जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थीगण है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/4 दर्ज चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थिगण के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

सामाज्ञान किया